राजकुमार गुरवारा (मृत) जरिए विधिक प्रतिनिधि

बनाम

मैसर्स एस.के. सर्वगी & कंपनी प्रा. लिमिटेड व अन्य

(दीवानी अपील स. 3576/2008)

14 मई, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सथासिवम, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908- आ. 6 नि. 17-वादपत्र का संशोधन-बहस के स्तर पर माँगा गया-अनुमति-निर्धारण-कुछ शर्तो के अधीन वाद के संशोधन की अनुमति प्रकरण के किसी भी स्तर पर दी जा सकती है- हस्तगत प्रकरण में वादी उक्त शर्तो की आपूर्ति करने में असफल रहा-वादी उचित समय पर संशोधन की अनुमति लेने में भी पूर्णतः असफल रहा-इसलिए वादी को संशोधन की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती अपीलार्थी-वादी ने वादग्रस्त सम्पदा में अत्यंतिक रूप से खनन किये जाने की उद्घोषणा के लिए वाद संस्थित किया था।

इसके बाद प्रथम प्रत्यर्थी ने साक्ष्य होने के पश्चात बहस के दौरान स्वयं को जोड़ने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर उसे द्वितीय प्रतिवादी के रूप मे संयोजित किया गया। तत्पश्चात अपीलर्थी द्वारा वादग्रस्त सम्पदा पर कब्जे और क्षतिपूर्ति के लिए वाद में संशोधन के लिए आ.6 नि.17 सहपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा निगरानी याचिका पेश की गयी, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर संशोधन के प्रार्थना पत्र को खारिज किया। जिस पर अपील पेश की गयी।

न्यायालय द्वारा अपील ख़ारिज कर निर्धारित किया गया कि 1.आ. 6 नि. 17 सीपीसी न्यायालय को शक्ति प्रदान है कि वह पक्षकार को अभवचनों में परिवर्तित और संशोधित करने कि अनुमति दे सकता है। उक्त संशोधन वाद के विवादग्रस्त तथ्यों के वास्तविक निर्धारण किये जाने हेतु आवश्यक होना चाहिए। विचारण के प्रारम्भ के पश्चात् चाहे गए संशोधन से विचारण से पूर्व चाहे गए संशोधन के संबंध में उदारतापूर्ण नज़रिया रखना चाहिए, क्योंकि पूर्ववर्ती मामलो में विरोधी पक्ष के पास संशोधन के संबंध में संशोधन किये जाने का अवसर रहता है जिससे उसके साथ किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं होता, लेकिन विचारण प्रारम्भ होने के पश्चात् संशोधन कि अनुमति दिया जाना विशेष रूप से साक्ष के पश्चात् अनुमति दिया जाने के संबंध में न्यायालय के परन्तुक के प्रावधानानुसार संतुष्ट होना आवश्यक है क्योंकि ऐसी स्थिति में विरोधी पक्ष के संबंध में पूर्वाग्रह होना सम्भव होता है। [पैरा 5]

2. संशोधन कि अनुमति निम्न शर्तो के अधीन है-(i) क्या संशोधन से प्रकृति बदलेगी (ii) क्या संशोधन से नया वाद हेतुक उत्पन्न होगा और दूसरे पक्ष के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न होगा (iii)क्या संशोधन अनुमत करने से परिसीमा विधि के प्रावधान विफल हो जायेंगे। वादी न केवल आदेश 6 नियम 17 के परन्तुक कि शर्तो को साबित करने मे असफल रहा बल्कि गुनावगुण पर भी उसका दावा ख़ारिज किये जाने योग्य था।[पैरा 7]

3. हस्तगत प्रकरण में ,वाद संस्थित करने से पूर्व, पक्षकारों को एक दूसरे के नोटिस प्राप्त हुए है। वादी के नोटिस के जवाब में, वाद में नामित सम्पदा के संबंध में विनीर्दीष्ट रूप से यह बताया गया था कि प्रथम प्रत्यर्थी (D2) खनन कि कार्यवाही संचालित कर रहा है। प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा जवाब नोटिस से यह स्पष्ट है कि वादी को इस तथ्य कि जानकारी थी कि विवादग्रस्त भूमि सरकार से लीज़ पर लिए जाने के कारण प्रथम प्रत्यर्थी के कब्जे में है। इस जानकारी के बावजूद वादी द्वारा उसे बेकब्जा किये

जाने तथा क्षतिपूर्ति के लिए उसे वाद में संयोजित किये वाद संस्थित किया है। D1 की ओर से प्रस्तुत लिखित कथन में भी यह उल्लेखित किया गया है कि सरकार द्वारा ए.पी. मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन के संबंध में प्रथम प्रत्यर्थी पक्ष में लीज़ जारे करने के आदेश जारी किये है और लीज़शुदा भूमि प्रथम प्रत्यर्थी के कब्जे में है। इस प्रकार

वादग्रस्त सम्पदा के कब्जेशुदा व्यक्ति जो कि उसके प्रार्थना पत्र के आधार पर D2 के रूप मे रिकॉर्ड पर लिया गया है, संयोजित नही किया गया तथा अपने साक्ष्य पेश किये तथा प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत ग्वाहो से प्रतिपरीक्षण किया है। केवल बहस के स्तर पर आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का प्रार्थनापत्र पेश किया है | [पैरा 6 और 7]

4. विचारण प्रारम्भ होने के पश्चात् भी, कार्यवाही के पक्षकार संशोधन की अनुमति प्राप्त करने के अधिकारी है,परन्तु समस्त तथ्यों को देखते हुए वादी को नोटिस तथा जवाब दावे के आधार पर यह भली भांति जानकारी थी कि D2 के पक्ष में सरकार द्वारा वादग्रस्त सम्पदा के संबंध लीज़ के आदेश दिए है, बहस के स्तर पर वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना अनुमति प्रदान किये जाने योग्य नहीं है | स्वीकृत रूप से,वादी द्वारा नियत समय पर उक्त आधार नहीं उठाये है। [पैरा 7]

सिविल अपिलीय क्षेत्रधिकारिता : सिविल अपील स. 3576/2008

आँध्रप्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद द्वारा दीवानी निगरानी याचिका सं. 1738 वर्ष 2004 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 17.08.2004 से।

सिद्धार्थ लूथरा, शशि एम. कपिला, अरुधाती काटज़ू, कुणाल टंडन और विकास मेहता-अपीलार्थी की ओर से ए.वी.रंगम, बडी ए. रंगनाधन, मनोज सक्सेना,रजनीश कु. सिंह, राहुल शुक्ल और टी. वी. जियोर्ज-प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिया गया -

पी. सदाशिवम, जे

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इस अपील में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैंदराबाद की सिविल पुनरीक्षण याचिका संख्या 1738/2004 में पारित आदेश दिनांक 17.08.2004 को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा संस्थित पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी थी।

3. वर्तमान मामले में, मुकदमा दायर करने से पहले, पक्षों के बीच नोटिस का आदान-प्रदान किया गया था। वादी के नोटिस के जवाब में, यह विशेष रूप से दावा किया गया था कि पहला प्रतिवादी (डी2) वाद अनुसूची भूमि में खनन गतिविधियाँ कर रहा था। प्रथम प्रतिवादी द्वारा वादी को जारी जवाबी नोटिस के अवलोकन से स्पष्ट होता है वादी को यह बताया गया कि वाद की भूमि पहले प्रतिवादी के कब्जे में थी, जिसे उसने सरकार से पट्टे पर लिया था। पहले प्रतिवादी द्वारा किए जा रहे खनन के बारे में उत्तर नोटिस में उक्त जानकारी के साथ, वादी ने कब्जे और क्षति के लिए उसे पक्ष में बनाए बिना उक्त मुकदमा दायर किया। डी-1 द्वारा दायर लिखित बयान से यह स्पष्ट है कि वादी इस तथ्य से अवगत था कि सरकार ने ए.पी. खनिज विकास निगम द्वारा रखे गए खनन पट्टे को पहले प्रतिवादी के पक्ष में स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया

और पट्टे की भूमि पहले से ही प्रतिवादी के कब्जे और उपभोग में है। वादी को मुकदमे की संपत्ति के कब्जे वाले व्यक्ति के कृत्य के बारे में जानकारी होने के बावजूद उसने पहले प्रतिवादी को पक्षकार बनाने का विकल्प नहीं चुना जो मुकदमे में डी-2 के रूप में अपने आवेदन पर रिकॉर्ड पर आया था। यह स्पष्ट है कि उत्तर नोटिस और डी-1 के लिखित बयान में ली गई विशिष्ट दलील के बावजूद, वादी ने वादपत्र में उचित संशोधन कराने के लिए कदम उठाने का विकल्प नहीं चुना और इसके बजाय मुकदमे को चलने दिया और अपनी ओर से गवाहों की जांच की। और प्रतिवादियों द्वारा पेश किए गए गवाहों से जिरह की। केवल बहस के चरण के दौरान, वादी आदेश VI नियम

17 सीपीसी के तहत एक आवेदन लेकर आया जिसमें दलीलों में संशोधन की मांग की गई। [पैरा 6 और 7]

4. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताश्री सिद्धार्थ लूथरा और प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थितविद्वान अधिवक्ता श्री ए.वी. रंगम और प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज सक्सेना को सुना गया।

5. मूल रूप से, अपीलकर्ता / वादी ने वाद संपत्ति में खनन कार्य करने के अपने अनन्य अधिकार की घोषणा के लिए वाद संस्थित किया। हालाँकि, साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात् और बहस केदौरान मेसर्स एसके सरवागी एंड कंपनी को दूसरे प्रतिवादी (यहां प्रत्यर्थी संख्या 1) के रूप में संयोजित करने के पश्चात् ,वादी नेसंशोधन के लिए आदेश VI नियम 17 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके द्वारा वादी ने वादपत्र की अनुसूची में वर्णित सम्पति का कब्ज़ा प्रदान करने व वादपत्र की अनुसूची में वर्णित संपति पर वादी की सम्मति के बिना खनन कार्य करने के बदले 5.00 लाख रूपये नुकसानी के रूप में प्रदान किये जाने का निवेदन किया। यद्यपि विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने 300/- रुपये की कोस्ट पर संशोधन के आवेदन को अनुमति दी जिसे उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर एक सिविल पुनरीक्षणयाचिका में अपास्त कर दिया और संशोधन के लिए आवेदन कोखारिज कर दिया जो इस अपील की विषयवस्तु है। यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि क्या अपीलकर्ता/वादी ने अपनेवादपत्र में संशोधन के लिए कोई मामला बनाया है या नहीं,आदेश VI नियम 17 सीपीसी के प्रावधानों सुसंगत है जो निम्नानुसार है: -

> "17. अभिवचनों में संशोधन -न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रकम में किसी भी पक्षकार को अपनी अभिवचनों में ऐसे प्रकार से और ऐसी निबंधनों पर,जो उचित हों, ऐसे परिवर्तन या संशोधन करने की अनुमति दे सकता है, और ऐसे सभी संशोधन किए जाएंगे जो पक्षकारों के बीच

उत्पन्न विवादग्रस्त प्रश्नों के वास्तविक का निर्धारण करने के लिए आवश्यक हो,परन्तु संशोधन हेतु कोई प्रार्थना पत्र विचारण के प्रारंभ होने के पश्चात स्वीकार नहीं किया जायेगा, जब तक कि न्यायालय इसविनिश्चय तक न पहुंचे की सम्यक त्तपरता बरते जाने के पश्चात भी पक्षकार मामले को विचारण किये जाने से पूर्व नहीं उठा सकता था."

उक्त नियम का प्रथम भाग यह स्पष्टत: यह अभिनिर्धारित करता है कि प्रकरण कर किसी भी स्तर पर पक्षकार विवादग्रस्त बिन्दु के वास्तविक निर्धारण हेतु अपने अभिवचनों में आवश्यक परिवर्तन अथवा संशोधन करने हेतु स्वतंत्र हैं लेकिन यह उक्त परन्तुक के अधीन हैं। यह नियम परन्तुक के साथ 2002 के अधिनियम 22 के द्वारा जोड़ा गया है जो दिनांक 01.07.2002 से प्रभाव में है जो यह स्पष्ट रूप से बताता है की विचारण के प्रारंभ होने के पश्चात, संशोधन हेतु कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन कार्यवाही के पक्षकार यदि न्यायालय को संतुष्ट कर देते है की पर्याप्त तत्परता बरते जाने के पश्चात् भी उक्त तथ्यों को नहीं उठा सकता था और न्यायालय उनके सपष्टीकरण से संतुष्ट हो जाए, विचारण प्रारंभ होने के पश्चात् भी संशोधन की अनुमति दी जा सकती है। इसे के मध्य उत्पन्न विवादग्रस्त तथ्यों के वास्तविक निर्धारण हेतु आवश्यक हो, संशोधन की अनुमति दी जावेगी। विचारण के प्रारम्भ के पश्चात् वांछित संशोधनों के सिवाय विचारण के पूर्व चाहे गए संशोधन के सम्बन्ध में उदारातापूर्ण नज़रिया रखा जाता है। पूर्ववर्ती मामले में उच्च न्यायालय द्वारा यह सही अभिनिर्धारित किया है, की विरोधी पक्षकार के प्रति किसी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह नहीं होता क्योंकि चाहे गए संशोधन के सम्बन्ध में उसके पास पर्याप्त अवसर रहता है लेकिन विचारण प्रारम्भ होने के पश्चात्, विशेषत साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात्, विरोधी पक्ष के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न होता है इसलिए न्यायालय के लिए यह आवश्यक है की वह परन्तुक में अभिनिर्धारित शर्तो के सम्बन्ध में संतुष्टि प्राप्त करे।

6. इस पृष्ठभूमि के साथ, वादी द्वारा दायर आवेदन और जिला न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर विचार करें। हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं कि मूल रूप से मुकदमा एकमात्र प्रतिवादी के खिलाफदायर किया गया था और बाद में दिनांक 11.07.2003 के आदेश केअनुसार दूसरा प्रतिवादी रिकॉर्ड पर आया। वादी का मामला यह हैकि वह वाद अनुसूची भूमि का पूर्ण स्वामी है। यह निर्विवादित है कि वाद दायर करने से पहले, पार्टियों के बीच नोटिस का आदान-प्रदान किया गया था। वादी के नोटिस पर उनके दिनांक 18.8.2001 केजवाब में, यह विशेष रूप से कहा गया था कि यहां पहला प्रतिवादी, अर्थात् मेसर्स एस॰के सरवागी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है। लिमिटेड सूट शेड्यूल भूमि में खनन गतिविधियां चला रहा है। डी-2 द्वारा वादी को जारी किये गये उत्तर नोटिस का अवलोकन किया गया। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वादी को यह बता दियागया था कि वाद की भूमि सरकार से पट्टे पर लेने के कारण डी-2 के कब्जे में है। डी-2 द्वारा किए जा रहे खनन के बारे में उत्तर नोटिस में उक्त जानकारी के साथ, वादी ने कब्जे और क्षति के लिए उसे पक्ष मेंबनाए बिना उक्त मुकदमा दायर किया।

7. ध्यान देने योग्य अन्य प्रासंगिक तथ्य डी-1 द्वारा दायर लिखित बयान में लिए गए तर्के है, जिसमें यह विशेष रूप से कहा गया है कि वाद अनुसूची भूमि को सर्वेक्षण और निपटान संचालन में पोरम्बोक भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है और सरकार ने सरकारी आदेश जारी किया है। जी.ओ 459 (उद्योग और वाणिज्य) विभाग, दिनांक 28.11.1998 ने अयिथम वलासा गांव के सर्वेक्षण संख्या 106 और 107 के तहत आने वाली 18.35 हेक्टेयर भूमि को एपी खनिज विकास निगम के पक्ष में खनन उद्देश्य के लिए बीस वर्षों के लिए पट्टे पर दिया। यह भी कहा गया है कि सरकार ने जी.ओ. म.स संख्या 102 (उद्योग और वाणिज्य) विभाग में दिनांक 20.2.2001 को ए.पी. खनिज विकास निगम द्वारा रखे गए खनन पट्टे को मेसर्स सरवागी एंड कंपनी प्राइवेट

लिमिटेड के पक्ष में स्थानांतरित करने के आदेश जारी किए जो लिमिटेड पट्टे की शेष अवधि दिनाँक 01.06.2019 तक है। जैसा कि उच्च न्यायालय ने पूर्णत सही कहा है, डी-1 द्वारा दायर लिखित बयान से यह स्पष्ट है कि वादी को इस तथ्य से अवगत कराया गया था कि सरकार ने ए.पी. खनिज विकास निगम द्वारा आयोजित खनन पट्टे को मिस सरवागी एंड कंपनी के पक्ष में स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया था। पी. लिमिटेड (डी-2) और पट्टे पर दी गई जमीनें मिस सरवागी एंड कंपनी पी. लिमिटेड के कब्जे में हैं और उनका उपभोग कर रही हैं। जैसा कि वादी को जानकारी होने के बावजूद, प्रतियोगी प्रतिवादी के विद्वान वकील ने सही बताया है। मुकदमे की संपत्ति पर कब्ज़ा करने वाले व्यक्ति के कृत्य में पक्षकार बनने का विकल्प नहीं चुना गया मै. सरवागी एंड कंपनी पी. लिमिटेड (डी-2) ने कहा, जो मुकदमे में डी-2 के रूप में अपने स्वयं के आवेदन पर रिकॉर्ड में आया था। यह स्पष्ट है कि उक्त नोटिस और डी-1 के लिखित बयान में ली गई विशिष्ट दलील के बावजूद, वादी ने वाद प्राप्त करने के लिए कदम उठाने का विकल्प नहीं चुना। उपर्युक्त रूप से संशोधन किया और इसके बजाय मुकदमा चलने दिया और अपनी ओर से गवाहों का परीक्षित करवाया और प्रतिवादियों द्वारा पेश किए गए गवाह की जिरह की। केवल बहस के चरण के दौरान, वादी एक आवेदन लेकर आया आदेश VI नियम 17 में दलीलों में संशोधन की मांग की गई है। हम पहले ही नियम 17 के परंतुक के निहितार्थ को समझा चुके हैं। यद्यपि मुकदमा शुरू होने के बाद भी, कार्यवाही के पक्षकार तथ्यात्मक विवरण जैसे मुकदमा दायर करने से पहले उत्तर नोटिस में स्पष्ट जानकारी और लिखित बयान में विशिष्ट दलील के आलोक में संशोधन की मांग करने के हकदार हैं। डी-1 में, जिसमें डी-2 के पक्ष में मुकदमे की संपत्ति को पट्टे पर देने के सरकारी आदेशों का विवरण शामिल था, तर्क के चरण में वादी की कार्रवाई की अनुमति नहीं दी जा सकती। माना जाता है कि वादी उचित समय पर उक्त उपाय का पालन करने में विफल रहा। इसके अलावा यह

इंगित करना प्रासंगिक है कि मूल मुकदमे में, वादी ने खनन कार्य करने और वाद अनुसूची संपत्ति का उपयोग करने और बेचने के अपने विशेष अधिकार की घोषणा के लिए प्रार्थना की थी और बहस के दौरान दायर याचिका में, उसने प्रार्थना की थी दूसरे प्रतिवादी से कब्जे और क्षति की वसूली की यह स्थापित कानून है कि संशोधन के लिए आवेदन की मंजूरी कुछ शर्तों के अधीन होगी, अर्थात्, (i) जब संशोधन की अनुमति देकर इसकी प्रकृति बदल दी जाती है; (ii) कब संशोधन के परिणामस्वरूप कार्रवाई का नया कारण सामने आएगा और इसका इरादा दूसरे पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का होगा; (iii) जब संशोधन आवेदन की अनुमति दी जाती है तो परिसीमा का नियम समाप्त हो जाता है। वादी न केवल आदेश VI नियम 17 के परंतुक में निर्धारित शर्तों को पूरा करने में विफल रहा, बल्कि गुण-दोष के आधार पर भी उसका दावा खारिज किया जा सकता है। इन सभी प्रासंगिक पहलुओं पर उच्च न्यायालय द्वारा विधिवत विचार किया गया है और अपर जिला न्यायाधीश के आदेश दिनांक 10.3.2004 को सही ढंग से अपास्त किया है।

8. परिणामस्वरूप, हम अपील में कोई गुणावगुण नहीं पाते है और इस अपील को खारिज किया जाता है । खर्चो के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाता है ।

(न्यायामूर्ति डॉ. अरिजीत पसायत)

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी -हिमांशु कुमावत (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।